<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>20/07/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एचआईयू ने मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड (बीएफएल) के प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता की 92.91 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 2 चल और 52 अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 5 (1) के तहत संलग्न करते हुए दूसरा अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) दिनांक 17.07.2026 जारी किया है।

जांच भारतीय स्टेट बैंक, स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट शाखा, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 06.08.2020 को दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड, दिनेश गुप्ता, मोहिंदर पाल जिंदल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसी-वी, नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुई है। मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड, जो बेस्ट प्रीमियम, बेस्ट सुपर प्रीमियम, बेस्ट सिलेक्ट और बेस्ट स्पेशल सहित ब्रांडों के तहत प्रीमियम बासमती चावल के प्रसंस्करण और विपणन में लगी हुई है, ने भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का धोखाधड़ी से लाभ उठाया और उन्हें अन्यत्र भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट के समय 1,740.30 करोड़ रुपये का बकाया था।

ईडी की जांच में पता चला कि डायवर्ट किए गए धन को दिनेश गुप्ता के कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर शामिल शेल और डमी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था, जो काल्पनिक व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से लेयर किया गया था, और बाद में रियल एस्टेट और अन्य नियंत्रित कंपनियों में निवेश किया गया था, जिसमें लाभप्रद स्वामित्व दिनेश गुप्ता के पास ही था।

<u>दिनेश गुप्ता की गिरफ्तारी</u>

जांच के दौरान, 15.07.2025 से 17.07.2025 तक दिनेश गुप्ता और संबंधित संस्थाओं के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीएमएलए, 2002 की धारा 17 (1ए) के साथ पठित धारा 22 के तहत पांच उच्च श्रेणी के वाहनों को फ्रीज किया गया और आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया गया। मेसर्स बेस्ट फूड्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता को इसके बाद पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत 08.08.2025 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

पूर्ववर्ती पीएओ और इसकी पुष्टि

ईडी ने पहले 04.10.2025 की तारीख का अस्थायी कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया था, जिसमें पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत 173.67 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था, जो डमी संस्थाओं और सहयोगियों के नाम पर अर्जित की गई संपत्तियां हैं, लेकिन दिनेश गुप्ता के लाभप्रद स्वामित्व में हैं, जिसकी पुष्टि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा की गई थी। 04.10.2025 की अभियोजन शिकायत (सी.टी. नंबर 40/2025) भी माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई थी, जिसका संज्ञान दिनांक 29.11.2025 के आदेश द्वारा लिया गया था।

वर्तमान पीएओ

आगे की जाँच से अपराध की अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय का पता चला, जिसमें विभिन्न शेल संस्थाओं और व्यक्तियों के नाम पर रखी अचल संपत्तियाँ, निर्मित आवासीय/वाणिज्यिक इकाइयाँ और बैंक जमा शामिल हैं, लेकिन ये लाभप्रद रूप से दिनेश गुप्ता के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। तदनुसार, पीएओ दिनांक 17.07.2026 के अनुसार, पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत कुल 92.91 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।

दूसरे पीएओ के जारी होने के साथ, इस मामले में ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों का संचयी मूल्य लगभग 266.58 करोड़ रुपये है।

मामले में जांच जारी है।